न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–314 / 2022 दायर दिनांक– 22.12.2022
GCMS NO:- 2022/544 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

धन्ना आ0 कजोड जाति माली नि0 ग्राम जजावर तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 7)।

प्रार्थीगण

बनाम

रामलाल आ0 लोडक्या जाति माली नि0 जजावर तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 5)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटी एक्ट

उपरिथतिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीलाल सैनी।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जजावर तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 540 के खसरा नम्बर 3306, 3307, 3308, 3301 व 3300 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी स्वामित्व की भूमि है, मे जाने का रास्ता प्रार्थीगण के मकानों से पूर्वी दिशा मे ग्रेवल सडक से जग्गा गुर्जर के मकानों तक बन ही ग्रेवल सडक से बिना किसी बाधा के जाता है फिर जग्गा के मकानों से पश्चिम दिशा मे सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3322 मे होकर रामलाल अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3305 के सहारे सहारे सरकारी भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से बने लगभग 15 फीट चौडे रास्ते मे होकर प्रार्थीगण अपनी जमीन पर पहुंचते है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का नही है।

यह कि प्रत्यार्थी रामलाल के मन मे बदयान्ती आ गई इसलिए अवैद्य व अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन सिवायचक खसरा नम्बर 3322 मे निकल रहे रास्ते को अवरूद्व करने, प्रार्थीगण के आवागमन मे बाधा डालने की धमकियां दे रहा है, रोक टोक करने पर उक्त सरकारी जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर रास्ते के उपयोग उपभोग को अवरूद्व करने पर आमादा है। मना करने पर लडोई झगडा कर मारपीट पर आमादा है। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित व परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित ए से बी रास्ते को घोषित कराये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर द्वारा दिनांक 24.3.2023 को वकालातनामा पेश किया था जिसके बाद आज दिनांक तक जवाव प्रार्थना पत्र पेश नही किया जिससे जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवॉ के पत्रांक / राजस्व / 2025 / 357 दिनांक 16.6.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3300, 3301, 3306, 3307 व 3308 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है जबकि उनकी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 3323 किस्म सिवायचक मे होकर प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 3300 तक बना हुआ है जो मौके पर वहाल है व चालू है।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट व तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया प्रार्थीगण के खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए पहले से ही एक प्रचलित रास्ता जो कि मौके पर बहाल व चालू है, के अतिरिक्त अन्य रास्ता कायम करना उचित प्रतीत नही होता है। साथ ही प्रार्थीगण के खेत पर जाने के लिए प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद होने व चालू होने से पत्रावली मे शेष रहे अप्रार्थीगण की तामिली अथवा पत्रावली को आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 3300, 3301, 3306, 3307 व 3308 पर जाने के लिए मौके पर प्रचलित रास्ता निकला होने तथा उक्त प्रचलित रस्ता

बहाल व चालू होने से नवीन रास्ता कायम करना उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा